

1309

बिहार सरकार  
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञाप सं०-2/य.1-04/2009 (युवा)- ...../

पटना, दिनांक-...../2017

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)  
बिहार, पटना।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्णियाँ जिला के स्थापना दिवस समारोह के आयोजन के निमित्त अतिरिक्त राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-08 के अधीन राज्य स्कीम बजट शीर्ष "2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-0101-कला और संस्कृति का संवर्द्धन विपत्र कोड- 08-2205001020101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 2002 कान्फ्रेंस, कार्यशाला सेमिनार में होगा।
- इस राशि की निकासी जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा अपने जिला के जिला कोषागार से की जायेगी एवं जिला स्थापना दिवस के आयोजन पर व्यय किया जायेगा।
- कार्यक्रम आयोजन के एक माह के अंदर संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन, व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-2199 दिनांक-24.03.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
- राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- एतद् द्वारा पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश सं०-830 दिनांक-30.03.2017 को रद्द/निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह०/-  
(राज कुमार झा)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-...../ पटना, दिनांक-...../2017

प्रतिलिपि :-जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-  
(राज कुमार झा)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-...../ पटना, दिनांक-...../2017

प्रतिलिपि :-जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-  
(राज कुमार झा)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 65 / पटना, दिनांक 29/5 /2017

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अवर सचिव/निदेशक, (सांस्कृतिक कार्य)/उप निदेशक (कला एवं संस्कृति)/प्रशाखा पदा०-1 एवं 2/बजट सहायक/आई०टी० मैनेजर, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-  
(राज कुमार झा)  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
रि०